

जी.सी.मितल और एस.एस.सोढ़ी के समक्ष जे.जे.

आयकर आयुक्त, हरियाणा, -आवेदक।

बनाम

एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज, सोनीपत, -प्रतिवादी

1981 का आयकर संदर्भ संख्या 72 और 73।

24 अप्रैल 1989.

आयकर अधिनियम, 1961 धारा 215, 80-जी, 40(सी), 148-75 प्रतिशत अग्रिम कर निर्धारित तिथि से पहले जमा किया गया-आई.टी.ओ. विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाना-वैधता-पुनर्मूल्यांकन-पुनर्मूल्यांकन के लिए आधार मौजूद नहीं था-पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को रद्द करना-वैधता।

माना गया कि उप-धारा (2) में 'या अन्यथा' शब्द यह दर्शाता है कि कर का भुगतान किसी भी तरीके से किया जाए, ब्याज की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा। अधिनियम के खंड (i) के साथ पठित धारा 215(2) के प्रावधानों के आधार पर निर्धारिती द्वारा समय के भीतर देय अग्रिम कर का भुगतान न करने में चूक होने के बावजूद भी। जिसमें अगले 1 अप्रैल से भुगतान होने तक ब्याज वसूलने का प्रावधान है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, छह लाख रुपये या उससे अधिक की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है, क्योंकि उस राशि का भुगतान मार्च, 1972 में किया गया था। (पैरा 7)

माना जाता है कि हमारा मानना है कि आयकर अधिकारी के पास पुनर्मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिस क्षण उसने पुनर्मूल्यांकन नोटिस में उल्लिखित दो आधारों को गलत या अस्तित्वहीन पाया। तदनुसार, हम निर्धारिती के पक्ष में संदर्भित प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हैं, कि ट्रिब्यूनल ने पुनर्मूल्यांकन को रद्द करके सही किया था। (पैरा 9)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली बेंच 'सी' दिल्ली द्वारा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को निम्नलिखित कानून के प्रश्नों पर राय के लिए संदर्भ ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 23 जून 1980 को आर.ए. संख्या 1015 और 1016 (डेल.) 1980 आईटीए संख्या 349 और 512 (चांद.)/1979, मूल्यांकन वर्ष 1972-73 में।

“1. क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, आयकर अधिकारी द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन को रद्द करना न्यायाधिकरण सही था?

2. क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल का यह मानना सही था कि धारा 215 के तहत ब्याज इस मामले में प्रभार्य नहीं था?

अपीलकर्ता की ओर से अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता और अजय मित्तल, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से डी.के. मोंगा, वरिष्ठ अधिवक्ता (दिल्ली के), राजीव मेहरा और राजीव भल्ला, अधिवक्ता।

## निर्णय

गोकल चंद मित्तल, जे.

(1) थिया एटलस 1 साइक्लु इंडस्ट्रीइस द;सैस्सेसी, और थिट एम आकलन वर्ष, 1972-73 से संबंधित है। चूँकि कैलेंडर वर्ष लेखांकन वर्ष था, यह 31 दिसंबर, 1971 को समाप्त हुआ। 2 मई, 1971 को, आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 210 के तहत आयकर अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था। 31,29,358 रुपये का अग्रिम कर भुगतान। निर्धारिती ने राशि का भुगतान इस प्रकार किया:

जमा करने की तिथि	राशि जमा की गई।
14.6.1971	रु. 4)63,340
14.9.1971	रु. 8,23,330
15.12.1971	रु. 6,43,330
2.3.1972	रु. 5,40,000
14.3.1972	रु. 61,750

15 दिसंबर, 1971 तक 19,30,000 रुपये का भुगतान किया गया और उसके बाद मार्च, 1972 में 6,01,750 रुपये का भुगतान किया गया। इस तरह, 14 मार्च, 1972 तक 3129358 रुपये की मांग के मुकाबले 25,31,750 रुपये अग्रिम कर के रूप में भुगतान किए गए।

चूँकि लेखांकन वर्ष 31 दिसंबर, 1971 को समाप्त हुआ, और उनके द्वारा अग्रिम कर का 75 प्रतिशत से कम भुगतान किया गया था, शेष पर आयकर अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 215 के तहत ब्याज लगाया गया था।

(2) निर्धारिती ने ब्याज लगाने को चुनौती दी लेकिन अपील पर आयकर आयुक्त (अपील) ने ब्याज की वसूली हटा दी, और विभाग ट्रिब्यूनल के समक्ष विफल हो गया। उपरोक्त तथ्यों पर, विभाग के कहने पर, ट्रिब्यूनल ने इस न्यायालय की राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न भेजा है:

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल का यह मानना सही था कि इस मामले में धारा 215 के तहत ब्याज प्रभार्य नहीं है।"

(3) प्रश्नगत मूल्यांकन वर्ष के लिए, मूल मूल्यांकन 31.1.1973 को 51,88,420 रुपये पर किया गया था, जिसे संशोधित कर 50,59,780 रुपये कर दिया गया।

29 मार्च, 1977 को आयकर अधिकारी ने अधिनियम की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी किया और उसमें उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 80-जी और 40 (सी) के तहत लाभ अधिक दिए गए थे। पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में, आयकर अधिकारी ने पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस में उल्लिखित दो आधारों में योग्यता नहीं पाई, लेकिन कुछ अन्य आधारों पर 16,541 रुपये जोड़ दिए।

(4) पुनर्मूल्यांकन के आदेश को निर्धारिती द्वारा अपील में चुनौती दी गई थी और ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुनर्मूल्यांकन को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस में उल्लिखित दो आइटम गलत पाए गए थे और चूंकि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने का आधार ही खत्म हो गया, इसलिए कोई पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित नहीं किया जा सका। इस मामले पर, विभाग ने निम्नलिखित प्रश्न इस न्यायालय की राय के लिए भेजा है:

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, आयकर अधिकारी द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन को रद्द करना न्यायाधिकरण सही था?"

(5) चूंकि दो संदर्भ एक ही निर्धारिती और एक ही मूल्यांकन वर्ष से संबंधित हैं, इसलिए इसमें उल्लिखित दोनों प्रश्नों के साथ मामले का एक सामान्य विवरण इस न्यायालय को भेजा गया है।

(6) हम प्रत्येक प्रश्न को अलग से निपटाने का प्रस्ताव करते हैं। ब्याज से संबंधित प्रश्न की ओर ध्यान दिलाते हुए, अग्रिम कर के भुगतान के संबंध में ऊपर सारणीबद्ध चार्ट को पढ़ने पर, हम पाते हैं कि लेखांकन वर्ष के अंत तक, यानी 31 दिसंबर, 1971 तक, 3129358 रुपये की मांग के मुकाबले 19,30,000 रुपये का भुगतान किया गया था, जो कि 75%का अग्रिम कर से कम है। और इसलिए, यह स्पष्ट है कि निर्धारिती ने अग्रिम कर के भुगतान में चूक की है। यदि 31 दिसंबर, 1971 तक अग्रिम कर का 75 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया होता, तो ब्याज नहीं लगाया जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं है।

(7) निर्धारिती ने रुपये का भुगतान किया। मार्च, 1972 में अग्रिम कर के रूप में 6,01,750 रुपये अधिक मिले। उक्त राशि पर ब्याज का भुगतान विवादित है। निर्धारिती की ओर से यह विवादित नहीं है कि भुगतान की गई कुल राशि, यानी 25,31,750 रुपये और 31,29,358 रुपये के अग्रिम कर की मांग के बीच अंतर पर, ब्याज की देनदारी विषय वस्तु नहीं है इस संदर्भ में विवाद का निपटान किया जाएगा या अलग से निपटाया गया है। इसलिए, हमारे निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या 6,01,750 रुपये की राशि पर, जिसका भुगतान लेखांकन वर्ष की समाप्ति के बाद किया गया था, लेकिन मार्च, 1972 में, यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, ब्याज लगाया जाएगा। इस मामले के लिए, हमें अधिनियम की धारा 215(1) पर विचार करना होगा, जो यह प्रावधान करती है कि 'यदि किसी निर्धारिती द्वारा अग्रिम कर के भुगतान में चूक की जाती है, तो अल्प जमा पर 15 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होता है। उक्त वित्तीय वर्ष के अगले अप्रैल के 1 दिन से नियमित मूल्यांकन की तारीख तक प्रभावी। इसका मतलब है कि विभाग 1 अप्रैल 1972 से नियमित मूल्यांकन की तारीख तक 6,01,750 रुपये की राशि पर ब्याज लगाना चाहता है, लेकिन जब उपरोक्त राशि 1 अप्रैल 1972 से पहले भुगतान की जाती है, तो उस पर ब्याज की गणना कैसे की

जा सकती है 1 अप्रैल, 1972 से नियमित मूल्यांकन की तिथि तक प्रभावी। यदि राशि का भुगतान 1 अप्रैल, 1972 से पहले नहीं किया गया था, और उसके बाद नियमित मूल्यांकन से कुछ समय पहले भुगतान किया गया था, तो 1 अप्रैल से भुगतान की तारीख तक ब्याज लगाया जा सकता था। इस संबंध में धारा 215(2)(i) देखें। उप-धारा (2) में 'या अन्यथा' शब्द दर्शाता है कि कर का भुगतान किसी भी तरीके से किया जाए, ब्याज की गणना में इसे ध्यान में रखा जाएगा। निर्धारिती द्वारा समय के भीतर देय अग्रिम कर का भुगतान न करने में चूक होने के बावजूद, अधिनियम के खंड (i) के साथ पढ़ी गई धारा 215(2) के प्रावधानों के आधार पर, जो ब्याज वसूलने का प्रावधान करता है अगले 1 अप्रैल से भुगतान तक, जैसा कि ऊपर बताया गया है, छह लाख रुपये या उससे अधिक की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है, क्योंकि उस राशि का भुगतान मार्च, 1972 में किया गया था।

(8) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम राजस्व के पक्ष में प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि रुपये की राशि पर। मार्च, 1972 में छह लाख या उससे अधिक का भुगतान किया गया, कोई ब्याज देय नहीं है, लेकिन अग्रिम की शेष भुगतान न की गई राशि पर अधिनियम की धारा 215 के अनुसार ब्याज देय होगा।

(9) पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के संबंध में संदर्भित प्रश्न का उल्लेख करते हुए, हमारा विचार है कि पुनर्मूल्यांकन को रद्द करने में ट्रिब्यूनल सही था क्योंकि जिन आधारों पर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी किया गया था, वे अस्तित्व में नहीं पाए गए थे, और ऐसी स्थिति में, आयकर अधिकारी को पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता है। हमारे इस दृष्टिकोण को सी.एल.टी. मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से समर्थन मिलता है। गुजरात बनाम ए. रमन एंड कंपनी (1), और बांकीपुर क्लब लिमिटेड बनाम सी.एल.टी. बिहार और उड़ीसा (2). इसी तरह का दृष्टिकोण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त में लिया गया है। सी.एल.टी. वि. गणेशी लाई लाई चंद (3). राजस्व की ओर से सी.एल.टी. गुजरात । बनाम अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एना। केलिको प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड (4), गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया गया था। मामले पर विचार करने पर, हमारा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है। तदनुसार, हम गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत हैं और सर्वोच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि आयकर अधिकारी के पास पुनर्मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिस क्षण उसने पाया पुनर्मूल्यांकन नोटिस में उल्लिखित दो आधार गलत या अस्तित्वहीन हैं। तदनुसार, हम निर्धारिती के पक्ष में संदर्भित प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हैं, कि ट्रिब्यूनल ने पुनर्मूल्यांकन को रद्द करके सही किया था।

(10) दोनों सन्दर्भों का निपटान उपरोक्त आदेश द्वारा किया जाता है, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh